

पत्र संख्या - पर्यटन/यो - 17/2023 - 17/

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग

फोन- 0651-2400981, फैक्स- 0651-2400982, ई-मेल-govjharkhandtourism@gmail.com, वेबसाइट : www.tourism.jharkhand.gov.in

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 18/06/2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष-5452-पर्यटन, जनजातीय क्षेत्र उपयोजनान्तर्गत राँची जिलान्तर्गत गेतलसूद में Community Centre का निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों हेतु ₹ 7,05,24,000.00 (सात करोड़ पाँच लाख चौबीस हजार रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष-5452-पर्यटन, जनजातीय क्षेत्र उपयोजनान्तर्गत राँची जिलान्तर्गत गेतलसूद में Community Centre का निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों हेतु ₹ 7,05,24,000.00 (सात करोड़ पाँच लाख चौबीस हजार रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस राशि का व्यय बजट मुख्य शीर्ष -5452- पर्यटन, उप मुख्य शीर्ष -80- सामान्य, लघुशीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष -75- पर्यटक स्थलों का समेकित विकास एवं पर्यटन अवसंरचना विकास, विस्तृत शीर्ष -05- निर्माण, 45-निर्माण कार्य (विपत्र कोड 46-S-5452-80-796-75-00-05-45) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. यह स्वीकृति कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि०, राँची का पत्रांक 968(नि), दिनांक 07.05.2024 के आधार पर दी जा रही है।

4. उक्त प्रशासनिक स्वीकृत राशि से निम्न योजना कार्य कराया जायेगा -

क्रमांक	अवयव का नाम	राशि
I.	Staff Room & Toilet Block	₹ 2622065.00
II.	Community Kitchen Block	₹ 3951718.00
III.	Community Hall Building	₹ 19727361.00
IV.	External Works	₹ 32873208.00
	Sub Total	₹ 59174352.00
	Add GST @ 18%	₹ 10651383.00
	Sub Total	₹ 69825736.00
	Add Labour Cess @ 1%	₹ 698257.00
	Grand Total	₹ 70523993.00
	Say	₹ 70524000.00

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उपायुक्त, राँची होंगे तथा इसकी निकासी जिला कोषागार, राँची से की जायेगी।

6. योजना का कार्यान्वयन उपायुक्त, राँची के माध्यम से कराया जायेगा।

7. इस राशि से किये गये कार्य के विरुद्ध नियमानुसार मदवार व्यय किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में राशि की अग्रिम निकासी नहीं की जायेगी।

8. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०, दिनांक 17.04.1998 तथा कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग से समय-समय पर निर्गत परिपत्रों, वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता तथा झारखण्ड लोक निर्माण संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

9. ये सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि प्रश्नगत कार्य पर किसी अन्य मद से राशि व्यय की गयी है या की जा रही है, तो इस राशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

10. योजना का कार्यान्वयन प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत कराया जायेगा तथा बगैर विभाग के पूर्व अनुमोदन के प्रशासनिक स्वीकृति से अधिक राशि का कार्य नहीं किया जायेगा।

11. योजना का कार्यान्वयन निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कराया जायेगा।

12. योजना कार्यान्वयन सरकारी भूमि पर कराया जाएगा। आवश्यकतानुसार वन विभाग/अन्य सरकारी एजेंसी से भूमि उपयोग हेतु अनापत्ति प्राप्त कर लिया जाएगा।

13. उपायुक्त, राँची योजना कार्य पूर्ण होने के उपरांत इसका विधिवत् हस्तांतरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि० को करेंगे।

14. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (2) में निहित प्रावधानों एवं भारत सरकार के पत्र संख्या - F.No.23011/15/2008 SG II Govt. of (Ministry of Tribal affairs), Shastri Bhawan, New Delhi, Dated 18.05.2009 में निहित शर्तों के साथ योजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा।

15. निर्मित होने वाले संरचनाओं का समुचित प्रबंधन, रख-रखाव, संचालन एवं होने वाले विद्युत व्यय का भुगतान आदि प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि० एवं स्थानीय ग्राम सभा/संयुक्त वन प्रबंधन समिति/जेटा के साथ मिलकर कराना सुनिश्चित करेंगे।

16. वन विभाग द्वारा अनुशंसा किया गया है कि "A community centre project at this location will be a win-win for both visitors as well as the local community, and help in the eco tourism based economic development of the locality" अर्थात् इस योजना का मुख्य उद्देश्य ईको पर्यटन आधारित आर्थिक विकास तथा स्थानीय समुदाय (Community) को रोजगार प्रदान करना, ताकि उनके रहन-सहन का विकास हो सके।

17. निदेशक, पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड द्वारा योजना कार्य को कार्यान्वयन के क्रम में स्थानीय लोगों को Eco Tourism Based Economic Development हेतु प्रशिक्षण कराया जायेगा, ताकि रोजगार प्रदान किया जा सके।

[Handwritten signature]

— 03 —

18. उपायुक्त, राँची समय-समय पर कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा कार्य का पर्यवेक्षण/निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करायेंगे तथा प्रत्येक माह, मासिक प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

19. उपायुक्त, राँची योजना का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड को प्रेषित करते हुए इसकी एक प्रति विभाग को अनिवार्य रूप से ससमय भेजना सुनिश्चित करेंगे।

20. दिनांक 31.03.2027 तक योजना पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

21. राशि का विचलन दूसरे मद में कदापि नहीं किया जाय, अन्यथा इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

22. इस मा० विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

23. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(मनाज कुमार)
16/6/25

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : पर्य०/यो० - 17/2023 -17...../राँची, दिनांक18.06.2025...../

प्रतिलिपि - निदेशक, पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड/उपायुक्त, राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि०/कोषागार पदाधिकारी, राँची/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी, राँची/सचिव, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनाज कुमार)
16/6/25
सरकार के सचिव



९९

ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 772

पत्रांक संख्या :- 17

झारखण्ड सरकार

पत्रांक दिनांक :- 18/06/2025

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)

स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

MANOJ KUMAR
SECRETARY
RANCHI

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार, झारखण्ड का कार्यालय,
पोस्ट - डोरंडा, राँची ।

द्वारा- *आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : गेतलसूद में COMMUNITY CENTRE का निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों की
प्रशासनिक स्वीकृति

आदेश- स्वीकृत ।

- 1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 46 - पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन प्रभाग)
मुख्यशीर्ष - 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय
उपमुख्य शीर्ष - 80-सामान्य
राज्य योजना

लघुशीर्ष	राशि
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	□7,05,24,000.00
कुलराशि :-	□7,05,24,000.00

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
46S545280796750545	75 - पर्यटक स्थलों का समेकित विकास एवं पर्यटन अवसंरचना	45 - निर्माण कार्य	

विकास

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा।

- 2.) राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी MANJUNATH BHAJANTRI (RNCDAD023), DY.COMMISSIONER RANCHI होंगे तथा राशि ₹7,05,24,000.00/- की निकासी Ranchi कोषागार से की जाएगी।
- 3.) प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- 4.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता, अनुदान, वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से